संख्या-18/2020/पी-316/अट्तीस-9-2020-04(बजट)/2020

प्रेषक,

अवधेश कुमार तिवारी,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 21 अक्टूबर, 2020**

विषय-वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष प्रथम किश्त हेतु रू0 55.50 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1218/एफ-31(8)/यूपीआरआरडीए/2020, दिनांक-21.09.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण के संचालन हेतु सहायता अनुदान में वेतन भत्तों के लिए प्राविधानित धनराशि रू0 222.00 लाख (रूपये दो करोड बाइस लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त हेतु रू0 55.50 लाख (रूपये पचपन लाख पचास हजार मात्र) आपके निर्वतन पर रखने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की नियमावली एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) धनराशि को एक मुश्त आहरित न करते हुए अपितु इसका आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(3) धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24.03.2020 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-04-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-0401-उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की स्थापना-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक अनुभाग-1) के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24.03.2020 द्वारा प्रशासनिक विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अवधेश कुमार तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-18/2020/पी-316(1)/अड़तीस-9-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्डबुक।

आज्ञा से,

(लाल धीरेन्द्र राव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।